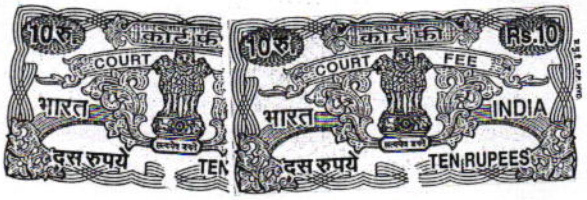

पुनरीक्षण याचिका प्रकरण कमांक /16
प्रस्तुति दिनांक 22.6.2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इंदौर

निग-2030-PBR/16

अब्दुल कलीम पिता अब्दुल खालिक
धंधा काश्तकारी
निवासी प्रगति नगर शहर व जिला बुरहानपुर ..याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमती वत्सलाबाई विधवा एकनाथ पाटिल
2. भाउराम पिता देवराम पाटिल
3. गणेश पिता देवराम पाटिल
   कमांक 1 लगायत 3
   निवासी ग्राम बहादरपुर तहसील व जिला बुरहानपुर
4. देवकाबाई विधवा सुभाष पाटिल
5. कृष्णा पिता सुभाष पाटिल
6. राहुल पिता सुभाष पाटिल
   कमांक 4 लगायत 6
   निवासी ग्राम खामनी तहसील बुरहानपुर
7. श्रीमती संगीता पति नामदेव (पुत्री सुभाष पाटिल)
   निवासी लोधीपुरा तहसील व जिला बुरहापुर
8. भारतीय पति मुकेश (पुत्री सुभाष पाटिल)
   निवासी खेरखानी शहत कुआ
   तहसील व जिला बुरहानपुर
9. रेखादेवी पति संदीप कुमार मुंदडा
10. रचना देवी पति सुधीर कुमार मुंदडा
    कमांक 9 एवं 10
    निवासी सी–145 न्यू इंदिरा कालोनी
    शहर व जिला बुरहानपुर
11. पूनम पति रमेश सोमैया
12. पुष्पादेवी पति भूपेन्द्र सोमैया
    कमांक 11 एवं 12 निवासी रास्तीपुरा
    शहर व जिला बुरहानपुर ...अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

याचिकाकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला बुरहानपुर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण कमांक 23अ/6–13–14 एवं राजस्व अपील प्रकरण कमांक 22अ/6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 10.07.14 के विरूद्ध न्यायालय माननीय कलेक्टर महोदय जिला बुरहानपुर द्वारा पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 1/15–16 में पारित आदेश दिनांक 30.03.16 के विरूद्ध विधिक एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है :–

R. 2030-PBR/16 गुरस्वामी

22.6.2016	आवेदक की ओर से श्री हेमन्त मुगी अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर तर्क सुने गये। कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.3.16 का अवलोकन किया गया। कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.7.2014 को भी निरस्त कर दिया गया है। पुनर्विलोकन अधिकारी को आदेश निरस्त करने की अधिकारिता नहीं है। अतः कलेक्टर के आदेश का अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.7.2014 को निरस्त करने सम्बन्धी अंश निरस्त किया जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अध्यक्ष	